न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :– श्री रवीन्द्र कुमार मेघवाल आई.ए.एस
प्रकरण संख्या :– 70/2025

सोहनलाल बनाम अशोक कुमार आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 11 सी.पी.सी.

// आदेश // **दिनांक :– 16/02/2026**

उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अशोक कुमार पिता स्व. कन्हैयालाल पित्तलिया, सुरेश कुमार पिता स्व. कन्हैयालाल पित्तलिया नि. खरदेवला की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

1– उक्त उनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में वादी सोहनलाल द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जो विधि विरूद्ध होकर चलने योग्य नहीं है।

2– उक्त उनवान के प्रकरण में वादग्रस्त आराजीयात बाबत् पूर्व में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी.एक्ट. का वादी सोहनलाल द्वारा ही माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 142/2017 है। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा गुणागान के आधार पर निर्णय दिनांक 13.07.2004 को वादी का वाद खारिज किया, जिसकी प्रथम अपील वादी सोहनलाल द्वारा ही माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, चित्तौड़गढ के समक्ष प्रस्तुत कि जिसके अपील संख्या 190/2004 जिसमें अपील दिनांक 29.01.2009 को खारिज की तथा वादी का 1/6 हिस्सा तथा अन्य प्रतिवादीगण के हिस्से घोषित किये जिसकी द्वितीय अपील वादी सोहनलाल द्वारा ही माननीय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान में प्रस्तुत कि जिसके अपील डिक्री/टी.ए./2740/2009/चित्तौड़गढ में निर्णय दिनांक 16.12.2014 को अपील इस्तदुआ बिन्दुओं को नजर करते हुए, पुनः राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, चित्तौडगढ को प्रतिप्रेषित की उसके बाद राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पुनः अपील क्रमांक डिक्री 18/2015 को दर्ज की गई। जिसके विचाराधीन रहते वादी सोहन लाल द्वारा तथाकथित अपंजीकृत गोदनामा दिनांक 23.10.1955 का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा. दी. के साथ प्रस्तुत की जिसको गुणगान के आधार पर दिनांक 06.12.2021 को अपंजीकृत गोदनामा रिकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित नहीं है वादी सोहनलाल का प्रार्थना पत्र खारिज किया उसके बाद उसकी निगरानी वादी सोहनलाल द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या 610/2022/चित्तौड़गढ प्रस्तुत किया जिसमें भी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय/आदेश दिनांक 21.12.2022 को वादी/सोहनलाल की निगरानी में आदेश पारित किया कि अपंजीकृत गोदनामे की फोटोप्रति पेश की गई। इस प्रकार के अपंजीकृत दस्तावेजों की फोटो प्रति पूर्व वर्णित विधिक दृष्टांतो के आधार पर साक्ष्य में ग्राहय नहीं होती है। इस संबंध में निगरानीधीन निर्णय सही पाया जाता है आदेश पारित किया गया उसके बाद माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, चित्तौड़गढ द्वारा गुणागान के आधार पर वादी सोहनलाल की अपील को दिनांक 21.11.2024 को खारिज करते हुये उपखण्ड अधिकारी महोदय बडीसादडी के प्रकरण संख्या 142/97 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2004 को यथावत रखा। जिसकी अपील सोहनलाल द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण संख्या 9456/2024 व उनवान सोहनलाल बनाम कान्ता बाई वगैरा कर रखी है जो विचाराधीन है उसके वाद तथाकथित अपंजीकृत फर्जी गोदनामा व वसीयत बताकर उसी दस्तावेज के आधार पर वादी सोहनलाल ने माननीय न्यायालय में नया वाद प्रस्तुत किया जा अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत चलने योग्य नहीं है।

न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी (चित्तौड़गढ़)

सहायक कलेक्टर
बडीसादडी

3– उक्त प्रकरण में पूर्व में निर्णित दस्तावेज गोदनामा जिसको वसीयत व गोदनामा बताकर वादी ने तथ्यों को छुपाकर नया वाद पेश किया है जबकि उक्त दस्तावेज को उच्च अधिकारियों द्वारा साक्ष्य ग्रहण की अनुमति भी नहीं दी गई उसके बावजूद वादी द्वारा विधि के विपरीत वादी पेश किया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है।
4– उक्त प्रकरण में वादी ने अपने वाद में वाद कारण दिनांक 26.06.2025 को उत्पन्न होना बताया है जबकि उस दिन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा हुआ उसकी वादी द्वारा कोई पालना नहीं की ओर उसकी आड में वाद पेश कर दिया जबकि पूर्व में गोदनामा के आधार पर निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा पारित कर दिये है उसके वादी का कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है बिना वादकारण के अभाव में वादी का वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत चलने योग्य नहीं है।
5– उक्त प्रकरण में वादी का वाद पत्र क्षेत्राधिकार से भी बाधित है चूंकि पूर्व में निर्णित प्रकरण एवं पूर्ववर्ती वाद के विचाराधीन रहते नवीन वाद क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वादी ने नया वाद पेश किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
6– उक्त प्रकरण में वादी ने जानबुझ कर यह जानते हुये की पूर्ववर्ती वाद के तथ्यो को छुपाकर वाद पेश किया है जो न्याय व नियम के विरूद्ध होने से वाद खारिज किये जाने योग्य है ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी सोहनलाल के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 सी.पी.सी. के तहत बाधित होने तथा न्याय नियम के विपरीत होने तथा श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार तथा वाद कारण से बाधित होने से खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में वादी ने सीधे ही बहस की और उक्त प्रार्थना पत्र को सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया । तथा प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

वादी एवं वकील प्रतिवादीगण की बहस सुनी गईं। हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, चित्तौड़गढ द्वारा गुणागान के आधार पर वादी सोहनलाल की अपील को दिनांक 21.11.2024 को खारिज करते हुये उपखण्ड अधिकारी महोदय बडीसादडी के प्रकरण संख्या 142/97 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2004 को यथावत रखा। जिसकी अपील सोहनलाल द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण संख्या 9456/2024 व उनवान सोहनलाल बनाम कान्ता बाई वगैरा कर रखी है जो विचाराधीन है उसके बाद तथाकथित अपंजीकृत फर्जी गोदनामा व वसीयत बताकर उसी दस्तावेज के आधार पर वादी सोहनलाल ने माननीय न्यायालय में नया वाद प्रस्तुत किया जो अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत चलने योग्य नहीं है। तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की निगरानी/टीए./610/2022 जिला चित्तौड़गढ में निगरानी सारहीन होने से खारिज की गयी। तथा अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ का निर्णय दिनांक 06.12.2021 यथावत रखा गया।
अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 11 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाता है। और वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे ईजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)
सत्यमेव जयते

रवीन्द्र कुमार मेघवाल(IAS)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी